राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक:4(1)वित्त1(1)आ.व्य./2026 जयपुर, दिनांक : 10 सितम्बर, 2026

## परिपत्र

**विषय :– वर्ष 2026–2027 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन)।**

वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए अनुपूरक मांगों को राजस्थान विधान सभा द्वारा स्वीकार कर तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2026 को दिनांक 21.08.2026 को पारित कर दिया गया है। इस विनियोग विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति (Assent) प्राप्त हो गई है। अतः अनुपूरक अनुदानों के विनियोग का इकाई वार विवरण (Details of Unit-wise Appropriation) स्पष्टीकारक स्मृति पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अब संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी/विभाग निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उनके नियंत्रणाधीन बजट शीर्ष में अनुमोदित राशियों का उपयोग कर सकेगें:–

1. 'केन्द्रीय सहायता' से संबंधित योजनाओं में भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति (Mother Sanction) प्राप्त होने के पश्चात् ही व्यय किया जाए।
2. व्यय बजट प्रावधान की सीमा में ही रखा जाए।
3. नवीन पद सृजन आदि पर व्यय करने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार की विशिष्ट स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाए।
4. बचत रहने की स्थिति में बचत के विस्तृत कारण देते हुए बचत राशि को समर्पित करने के लिए नियमानुसार समय पर ही कार्यवाही की जाए।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(शिवांगी स्वर्णकार)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

(कृ.पृ.उ.)

Room No. 5130, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227799 www. finance.rajasthan.gov.in E-mail - dirbudget@rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय / अति मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, उप मुख्य मंत्री महोदया (वित्त)।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक / लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर को 15 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. प्रशासनिक सुधार (कोडिफिकेशन) विभाग।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव / उपशासन सचिव, वित्त विभाग।
9. शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को उनकी आज्ञा संख्या डी–90 / मं.मं. / 2026 दिनांक 18.08.2026 की अनुपालना के संदर्भ में।
10. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[ 11 /2026 ]

Room No. 5130, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227799 www. finance.rajasthan.gov.in E-mail - dirbudget@rajasthan.gov.in